म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र0/बोर्ड/विविध/जन./1/मा.बै./2024/2228 भोपाल, दिनांक 20/05/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय- (समस्त)

विषयः- माननीय उच्च न्यायालयों में मण्डी बोर्ड/मंडी समिति के लंबित/विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों के संबंध में ।

सन्दर्भः- संभागीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित न्यायालयीन प्रकरणों की सूची ।

--000--

विषय सन्दर्भ में समीक्षा उपरांत पाया गया कि मुख्यालय को प्रेषित की जाने वाली न्यायालयीन प्रकरणों की सूची संभागीय कार्यालयों द्वारा बहुत लंबे समय से अद्यतन नहीं की गई है। प्रत्येक माह की जानकारी में एक ही सूची बिना किसी अद्यतनीकरण के मुख्यालय को प्रेषित की जा रही है जो कि उचित नही है । परीक्षण में प्राप्त स्थिति निम्नानुसार है:-

न्यायालयीन प्रकरण

क्र	संभाग	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या	अवलोकन पश्चात कुल निराकृत	जवाबदावा प्रस्तुत		जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष		गलत याचिका क्रमांक
				शासन	मंडी बोर्ड	शासन	मंडी बोर्ड	
1	जबलपुर	210	20	21	174	98	13	3
2	ग्वालियर	145	27	15	95	35	13	10
3	इन्दौर	132	11	2	100	36	4	17
4	उज्जैन	164	15	1	101	81	20	28
5	भोपाल	92	12	5	77	45	2	1
6	सागर	83	24	4	50	24	6	3
7	रीवा	81	17	15	60	17	2	2
योग		907	126	63	657	336	60	64

अवमानना प्रकरण

क्रं	संभाग	कुल अवमानना प्रकरणों की संख्या	जवाबदावा प्रस्तुत	जवाबदावा प्रस्तुत होने हेतु शेष प्रकरण
1	जबलपुर	47	23	24
2	ग्वालियर	02	1	1
3	इन्दौर	01	1	0
4	उज्जैन	03	0	3
5	भोपाल	02	1	1
6	सागर	04	1	3
7	रीवा	01	1	0
योग		60	28	32

उपरोक्त स्थिति चिंताजनक हैं, विशेषकर सतत् निर्देशों के उपरांत भी वृहद संख्या में न्यायिक/अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत न होना खेद का विषय है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

1. जिन प्रकरणों में शासन अथवा मंडी बोर्ड/मंडी समिति की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं है, उनमें तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत किया जायें ।
2. माननीय न्यायालय की वेबसाइट से दर्ज प्रकरणों की आगामी तिथि की दैनिक अद्यतन जानकारी तैयार करें ताकि नियत तिथि को उपस्थिति के अभाव में मंडी बोर्ड/मंडी समिति के विरुद्ध एक पक्षीय (ex parte) आदेश पारित करने की स्थिति निर्मित न हो।
3. आंचलिक कार्यालयों में विधि शाखा का कार्य सम्पादित करने वाले कर्मचारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक की सूची संकलित कर वरिष्ठालय को प्रेषित करें ।
4. न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के संबंध मे अविलम्ब नियुक्त अधिवक्ता से विधिक अभिमत लेकर समयावधि में आगामी कार्यवाही की जाये, जिससे माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की स्थिति निर्मित न हो ।

5. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में यदि मंडी बोर्ड/ मंडी समिति के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया है तो, स्थगन रिक्त कंराने संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायें ।
6. ऐसे प्रकरण, जिनमें राजस्व वसूली निहित हो, उनमें त्वरित सुनवाई का निवेदन प्रस्तुत किया जायें ।
7. न्यायालयीन प्रकरणों की सूची का पुनः परीक्षण करते हुये अद्यतन सूची 7 दिवस में मुख्यालय प्रेषित की जाये तथा मासिक प्रगति की जानकारी प्रति माह 10 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

अतः समस्त आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक एवं कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये लंबित प्रकरणों के निराकरण को गति प्रदान करें ।

20/05/24
(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/बोर्ड/विविध/जन./1/मा.बै./2024/2229 भोपाल, दिनांक 20/05/2024

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
2. अपर संचालक/कार्यपालन यंत्री/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
3. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त) जिला.....(समस्त) ।
4. आदेश नस्ती ।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल